न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:– 108/22

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.....वादी

बनाम

1. कमलकंवर पुत्री हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गणेशसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
4. देवेन्द्रसिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
5. दाखाकंवर पत्नि हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
6. प्रेमकंवर पुत्री हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
7. भंवरकंवर पत्नि श्रवणसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भंवरसिंह पुत्र हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
9. मंगेजसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
10. मालसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सोहनसिंह पुत्र हडमानसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
12. हंसुकंवर पत्नि कालुसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
13. अमरसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
14. कालूसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
15. किस्तुरनाथ पुत्र रामेश्वरनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
16. पन्नानाथ पुत्र रामेश्वरनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
17. रामरतन पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
18. सुवटी पत्नि चुनाराम जाति जाट निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

.....प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26-12-2024

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा संख्या 392 तादादी 0.5059 हेक्टेयर किश्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 393 रकबा 0.5059 हेक्टेयर किश्म गै.मु., खसरा संख्या 513/184 रकबा 0.3161 हेक्टेयर किश्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 184 रकबा 4.6792 हेक्टेयर किश्म बारानी दोयम कुल किता 04 कुल रकबा 6.0071 हेक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी 01 ता 18 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न है। हल्का पटवारी उंटालड की जांच में पाया गया कि उक्त कृषि भूमियों में खसरा संख्या 392, 393, 513/184 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा खसरा संख्या 184 में 2.3445 हेक्टेयर रकबे पर आबादी बस चुकी है तथा खसरा संख्या 184 की शेष 2.3347 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। सुलभ संदर्भ हेतु हल्का पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सलंग्न है। सम्पूर्ण खसरा भूमियां वर्तमान में कृषि के बजाय अकृषि उपयोग में ली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में केवल कृषि करने के ही अधिकार प्रदत है जबकि वादगत भूमि का वर्तमान में कृषि उपयोग न होकर अकृषि उपयोग हो रहा है। वादगत भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कृषि भूमि है जबकि वर्तमान में वादगत भूमि में अवैध रूप से आबादी बस चुकी है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के स्वरूप परिवर्तन किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरित कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। यह भी संभव है कि प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा–देखी से अन्य लोगों के द्वारा भी कृषि भूमि का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना ही असंभव हो सकता है जिसके फलस्वरूप भूमि का कृषि संबधि उदेश्य ही नहीं रहेगा। प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। वाद पत्र दौ प्रतियों में प्रस्तुत है। वाद का कारण कृषि भूमि आबादी बसने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि उपयोग मौके पर किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादी की भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाने की कृपा करें। आदि–आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 13, 15, 17 ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। वादगत भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार बीदासर के अनुसार वादगत भूमि का मौके पर अकृषि उपयोग हो रहा है। तहसीलदार बीदासर के अनुसार वादगत भूमि का वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा कृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। लैण्ड हॉल्डर व खातेदार के बीच हुए अनुबंध का भी उल्लंघन किया है। कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किये जाने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी कृषि भूमि का लैण्ड हॉल्डर की सक्षम अनुमति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग किया जाता है तो लैण्ड होल्डर व कृषक के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड के खसरा संख्या 392, 393, 513/184, 184 तादादी क्रमशः 0.5059, 0.5059, 0.3161, 4.6792 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.0071 हेक्टेयर भूमि से खातेदारों को बेदखल कर उनकी खातेदारी खारिज कर सिवायचक घोषित किया जाता है। वादगत भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें। निर्णय आज दिनांक 26/12/2014 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
सरकार बनाम कमलकंवर आदि
दावा बाबतः– अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

मु.नं.– 108/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी पेरोकार राज वास्ते मुद्दई व मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड के खसरा संख्या 392, 393, 513/184, 184 तादादी कमशः 0.5059, 0.5059, 0.3161, 4.6792 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.0071 हेक्टेयर भूमि से खातेदारों को बेदखल कर उनकी खातेदारी खारिज कर सिवायचक घोषित किया जाता है। वादगत भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज.........मुबलिग.........बाबत.........खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ~~26-12-2024~~...को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-12-2024

मुहर

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा .... बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)